

फर्ड अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

धी पुष्पलाल विपक्षी चिमनलाल
 रूम मुकदमा वार पत्रावली संख्या 123/20 सन _____

मांक _____ कार्यवाही विवरण _____ हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई _____

30/1/25
 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप तलवा/कलक्टर/उपखण्ड प्र.प./उपखण्ड
 के लिये मौका चाहते हैं। अतः अतिरिक्त
 भ्रवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 19/3/25
 को पेश हो।


 SDO मावली

19/3/25
 पत्रावली पेश उ... वर्गीकृत प्रार्थी/अपीलाण्ट
 प्रतिवादी/विपक्षी/रिपस/उपस्थित/पीडित/अ
 अधिकारी मही.आजा अर्थात् अश/भ्रमण/पि
 में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना
 नंक 23/4/25 को पेश हो
 D/O

23/4/25
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप।
 उपस्थित ... द्वारा न्यायिक कार्य का
... शांति बना कर न्यायिक कार्य
 स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
 भ्रमण/मीटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश
 के क्रम में दिनांक 11/6/25 को पेश हो।
 D/O

11/6/25
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय वादी अनुपस्थित।
 अधि. प्रति. उप. अधिवक्ता वादी मय वादी को निरन्तर आवाजे
 दिलाई गई। ~~...~~ समय साँच 5:00 PM हो चुके हैं। अधिवक्ता
 वादी मय वादी अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधि. वादी मय
 वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का वार अहम हाजरी अहम
 पेशी में खारिज किया जाता है। चूंकि वाद अहम हाजरी अहम
 पेशी में खारिज होने से प्रति. सं. 3 द्वारा प्रस्तुत श.पत्र 07R11/25
 का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः प्रति. सं. 3 द्वारा प्रस्तुत
श.पत्र 07R11/25 को इसी स्तर पर शेष किया जाता है। प्रति.
 सं. 1 को पर्याप्त भ्रवसर दिये जाने पर वी जवाब का पेश नही
 किया। अतः प्रति. सं. 1 के जवाब का भ्रवसर अहम किया जाता है।
 पत्रावली में प्रति. (3) का काउन्टर क्लेम होने से पत्रावली कल में जारी
 रहेगी। पत्रावली वास्ते तलवा नं. 2, 4, 8 दिनांक 25/6/25
 को पेश हो।



25/06/25

पन्नावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 मय स्वयं प्रतिवादी संख्या 3 (अनुपस्थित) अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 मय स्वयं प्रतिवादी संख्या 3 को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय साँय 5:00PM हो चुके हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 मय स्वयं प्रतिवादी संख्या 3 अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 मय स्वयं प्रतिवादी संख्या 3 अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 3 का प्रतिवाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। वादी का वाद पूर्व में अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। पन्नावली कंसल कुमार लेकर नम्बर से कम हो।

निर्णय चुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) पन्ना